UPGK010017362026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–826/2026

1 – सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव पुत्र स्व० जमुना यादव उम्र 75 वर्ष

2– हर्षवर्द्धन यादव पुत्र रामअशीष यादव उम्र 28 वर्ष

निवासीगण साकिनान जयन्तीपुर, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर।

.....**आवेदकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–159/2025
अंतर्गत धारा–126(2),115(2),191(2),352,351(3),333,324(4)BNS
व धारा 3(1) द, ध, 3(2)(va) SC/ST Act
थाना–बांसगांव, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 25–03–2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव व हर्षवर्द्धन यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र बालेन्द्र यादव द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी लौजारी देवी पत्नी रामाश्रय प्रसाद एनम के पद से सेवामुक्त है व ग्राम जयन्तीपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर की निवासीनी हूँ। तथा अनुसुचित जाति की महिला हूँ। गाँव के दबंग भूमाफिया रामाकान्त यादव (पुलिस कान्सटेबल) द्वारा फोन पर गाली गुप्ता व फर्जी मुकदमे मे फसाने की धमकी दिया गया तथा उसके कहने पर दिनांक 28.02.2025 को समय लगभग सुबह 10 बजे सुर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव पुत्र स्व० जमुना यादव, राजवर्धन व जय वर्धन पुत्रगण ओम प्रकाश व ओमप्रकाश पुत्र सूर्यनाथ, हर्षवर्धन पुत्र राम आशिष व इन्द्रसेन पुत्र राम अवतार आदि नाम आज्ञात लोगो के द्वारा एक राय व गोलबंद होकर लाठी–डण्डा हथियार लेकर मेरे दरवाजे पर आ गये। प्रार्थिनी का निमार्ण कार्य को रोक दिये तथा लिन्टर सेटरिंग कार्य कर रहे मजदुरो को सभी मिल कर मारने पिटने लगे। जब प्रार्थिनी ने कारण जानना चाहा तो मेरा

कार्य क्यो रोक दिये है। तो उसी बात पर सभी मिल कर प्रार्थिनी को भी जातिसूचक शब्द चमाइन मादरचोद की भद्दी–भद्दी गाली देने लगे और मारने लिए दौडा लिए। प्रार्थिनी ने अपनी जान बचा कर घर के अन्दर घुस गयी तो उक्त सभी लोग घर के अन्दर आकर समान इत्यादि को तोडफोड किए और मारने पिटने लगे अपनी जान बचाने के लिए शोर करने लगी जिससे गांव के लोग आकर बीच बचाव किए। उन लोगो की गुंण्डई और दबंगई की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति गवाही नही देता है। रामाकान्त यादव व उसके भतीजे राजवर्धन व जयवर्धन द्वारा पुनः दिनांक 07.03.2025 को समय लगभग 2 बजे दिन मे थाने से पूर्व दिशा महज 100 मी० आगे घेर लिए और कहे सुलह समझौता कर लो नही तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से मार देगें। रामाकान्त पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाही है आये दिन फर्जी मुकदमे मे फंसाने व थाने मे बन्द कराने की घुडकी धमकी देता रहता है। प्रार्थिनी डरी सहमी व भयभीत है कोई अनहोनी न हो जाय। स्थानीय थाने पर कई बार रिपोर्ट दी लेकिन रामाकान्त पुलिस विभाग मे सिपाही है इसलिए न्याय नही मिल पा है। पुनः दिनांक–09.03.2025 शाम 4:30 बजे प्रार्थिनी उपरोक्त अपने पुस्तैनी मकान उसकी दिवाल खड़ी हो चुकी और सटरिंग भी हो चुका है छत लगवाने जा रही थी। उसी समय उपरोक्त मुल्जिमान कुछ अन्य बाहरी लोगों के साथ आ कर मजदूरों को भगा दिये। हमे भी माधरचोद, हरामी, सासी चमाईनी की गाली गुप्ता देते हुये मेरा काम रोक दिये। जबकि हमारे तथा रमाकान्त यादव के घर के बीच में पक्की सडक आम रास्ता स्थित है। उपरोक्त सभी बाते प्रार्थी द्वारा पुनः थानाध्यक्ष से बताई गयी तथा रिपोर्ट दी गयी परन्तु वह कोई कार्यवाही नहीं किये। तब आप श्रीमान जी को सम्पूर्ण घटना की जानकारी दे रही हूँ। अतः आप श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर मुल्जिमान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष बासगाव जनपद गोरखपुर को आदेशित करने की कृपा करे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन फर्जी फसाये गये है। प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध नहीं कारित किया गया है न ही वादिनी मुकदमा तथा उसके मजदूरो को मारा पीटा गया है न गाली गुप्ता दिया गया, न ही वादिनी को जाति सूचक शब्द चमाइन मादरचोद की भद्दी–भद्दी गाली दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर घुसकर न कोई समान तोड़ा फोड़ा गया न मारा पीटा गया न ही उसे सुलह समझौता हेतु दबाव ही दिया गया। उपरोक्त घटना की प्राथमिकी तथाकथित घटना से करीब 1 माह बाद दिनांक 29.03.2025 को दर्ज करायी गयी है जो घटना को संदिग्ध व संदेहास्पद दर्शाती है। उपरोक्त तथाकथित घटना में आयी चोटे साधारण प्रकृति की है और मात्र दर्द होना बताया गया है और किसी चोट का कोई निशान नहीं पाया गया है। उपरोक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं दर्शाया गया हैं इस तरह से भी तथाकथित घटना संदिग्ध व संदेहास्पद प्रतीत होती है। सत्यता यह है कि वादिनी मुकदमा जो स्वास्थ्य विभाग में एनम के पद से रिटायर है अपने प्रभाव का लाभ लेकर फर्जी आघात आख्या तैयार करायी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नही है और प्रार्थीगण संभ्रान्त नागरिक है। अपराध उपरोक्त की सभी धाराए 7 वर्ष से कम तक की सजा की धाराए है। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना प्रार्थीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया और भा०ना०सु०सं० की धारा 35 का अनुपालन हो चुका है तथा प्रार्थीगण का बयान भी विवेचक द्वारा अंकित किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा वादिनी मुकदमा अथवा साक्षियों पर कोई दबाव नहीं बनाया जायेगा। न ही साक्ष्यों से कोई छेड़छाड किया जायेगा। उक्त समस्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदकगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत पर

रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेंगे। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध मुख्य रूप से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर लाठी–डण्डा हथियार से मार पीट करने, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गुप्ता देने, उसका निर्माण कार्य रोकने, उसके घर का सामान तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध चिकित्सीय रिपोर्ट मे डाक्टर द्वारा चोटहिल को आयी सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तागण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तागण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य** (2021) 10 **एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No**. 6400 **of** 2025 **Smt**. **Bacchi Devi vs**. **State of U.P**. **and other** [**Netural Citation No**. 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सूर्यनाथ उर्फ भोरिक यादव व हर्षवर्द्धन यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–826/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होती रहेंगी, विचारण में सहयोग करेंगी एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेंगी, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.25 17:31:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court